

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 023/2020 (रसद) (GCMS 2020/00392)	दायर दिनांक 09.12.2020	निर्णय दिनांक 22.12.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान  
मदनलाल जोशी पिता मोहरलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी  
डिण्डोली उचित मूल्य दुकानदार डिण्डोली तहसील राशमी जिला  
चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला  
चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :- बीएल मेनारिया  
हितेश जोशी

अधिवक्ता अपीलार्थी  
पैरोकार सरकार

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या  
20/2019 दिनांक 22.05.2020 अन्तर्गत राजस्थान फूड ग्रेन्स एण्ड  
अदर एजेन्सीज आर्टिकल (रेगुलेशन) ऑर्डर 1972 के नियम 22

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है  
अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक  
22.05.2020 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ  
जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार  
डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के प्राधिकार पत्र क्रमांक  
88/2003 निरस्त करने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त करने का  
निर्णय पारित किया गया जो निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से  
निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित  
निर्णय बिना अपीलार्थी को बिना जवाब प्रस्तुत कर बिना बहस सुने एवं  
साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना मन मकसुद एवं एक  
तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।  
अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा राजनैतिक द्वेषतायश परेशान करने  
से झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी उसकी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा  
सही जांच नहीं करा झूठे आरोपों के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेन्स  
निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का जो निर्णय पारित किया गया  
वह निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में  
समस्त ग्रामवासियान डिण्डोली द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत करने



25  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

के तथ्य अंकित किये जो सरासर गलत है। समस्त ग्रामवासियों द्वारा कोई रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत नहीं की केवल मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक द्वेषता व झूठे आरोप पर गलत तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी जांच भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सही नहीं कर राजनैतिक दबाव में की है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार से गबन नहीं किया न ही कोई फर्जी राशन कार्ड बनाकर गलत आधार शीड कर फर्जी ट्रांजेक्शन से गेहू व केरोसीन का गबन किया है, न तो आधार कार्ड प्रार्थी/अपीलाण्ट बनाता है न ही राशन कार्ड प्रार्थी/अपीलाण्ट बनाता है जो भी गेहू प्रार्थी/अपीलाण्ट राशन डीलर को प्राप्त हुये उनको नियमानुसार निर्धारित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को दिये है जो भी आधार कार्ड लाता है वह पोश मशीन के चस करने पर ही उपभोक्ताओं को राशन सामग्री दी जाती है उसी के अनुसार ही प्रार्थी/अपीलाण्ट ने राशन सामग्री वितरित की है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस में उपभोक्ताओं को 35 कि.ग्रा. की जगह 15 कि.ग्रा. गेहू देना, फर्जी राशन कार्ड व गलत आधार, शीड कर ट्रांजेक्शन से गेहू व केरोसीन का गबन करना के समस्त आरोप झूठे लगाये है जिसकी सही जांच नहीं करवाकर अपीलाण्ट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई गबन नहीं किया है न ही राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट के विरुद्ध मनमकसुद बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा कार्यवाही कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। प्रार्थी को बिना नोटिस दिये बिना जवाब लिये न ही कोई साक्ष्य सबुत गवाहान पेश करने का अवसर दिये, बिना बहस सुने अपने मनमकसुद तरीके से कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की अवधि में पत्रायली पर एक तरफा कार्यवाही कर राजनैतिक प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा नियमित रूप से उचित मुल्य की दुकान का संचालन करता हुआ गेहू, केरोसीन आदि का वितरण करता आ रहा है किसी भी प्रकार से गबन व फर्जीवाडा नहीं किया है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा सही जांच नहीं करा एक पक्षीय निर्णय पारित कर भारी भूल की है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सामग्री का कोई भी दुरुपयोग नहीं किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट के विरुद्ध दिनांक 23.09.019 को झूठी शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी द्वारा जांच करवायी जो जांच भी सही नहीं की गयी। प्रार्थी/अपीलाण्ट को जितना राशन दिया गया उस अनुरूप वितरण कर स्टॉक में दर्ज किया गया किसी भी प्रकार से कोई राजकीय सामग्री का दुरुपयोग नहीं किया गया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में एफ.पी.एस. कोड नम्बर 243/2 से कुल 3550 कि.ग्रा. गेहू को खुर्द-बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरुपयोग कर चालान संख्या 35555833 दिनांक 29.11.2019 राशि 70700/- रुपये राजकोष में जमा कराने हेतु तथ्य अंकित किये है जो सरासर गलत है। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने न तो गेहू को खुर्द-बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरुपयोग किया है और न ही कोई चालान अपीलाण्ट को दिया है न ही चालान उपलब्ध कराया है कई बार अपीलाण्ट जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आया व पुछा व कर्मचारियों से भी मिला तो उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में न तो चालान उपलब्ध कराया व प्रार्थी/अपीलाण्ट को



२३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

कार्यवाही चल रही है आपको बहाल कर दिया जावेगा ऐसा आश्वासन देते रहे व टालम टोल करते रहे व प्रकरण के सम्बन्ध में चल रही कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं बताया व कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के दौरान भी एक पक्षीय बिना साक्ष्य सबुत व सुने अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है। क्षेत्र के सभी उपभोक्ता अपीलार्थी के कार्य व व्यवहार से सन्तुष्ट है जिसका एक बड़ा प्रमाण अपीलार्थी का 17 वर्षों से अधिक समय से लगातार उचित मुल्य दुकानदार बने रहना है जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो जांच अधिकारी की मौजूदगी में की गयी न ही गवाहान के बयान अपीलार्थी के समक्ष हुये, न ही कोई कार्यवाही या मौका रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष व जानकारी में बनायी केवल मन मकसुद तरीके से गवाहान के बयान व रिपोर्ट अपीलान्ट के विरुद्ध तैयार की गयी जो निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो उक्त प्रकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी/अपीलान्ट को सुचना दी न ही कोई नोटिस दिया न ही जवाब हेतु पुर्ण अवसर दिया न ही निर्णय अपीलार्थी की मौजूदगी में सुनाया कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भी बिना अपीलार्थी को सुने निर्णय पारित किया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गयी व बाद में अपीलार्थी को पता चला उक्त डिण्डोली उचित मुल्य दुकान हेतु नवीन वेकेन्सी जारी कर दी गयी जिसका पता चलते ही अपीलान्ट द्वारा विभाग में आकर पता किया तो कर्मचारियो ने बताया की आपका लाईसेन्स तो निरस्त कर दिया गया फिर अपीलार्थी द्वारा निर्णय की नकल ली गयी व अपने अधिवक्ता से मिल पत्रावली व निर्णय की नकल हेतु माह अक्टूबर 2020 में आवेदन किया व दिनांक 15.10.2020 को निर्णय की प्रति मिलते ही अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत है। फिर भी कानूनी अडचनों से बचने के लिये दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के साथ अलग से पेश है। अपीलार्थी ने ख्राद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नहीं की अनजाने में प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताड़ना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है कि अपील हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्ति पूर्व ही इस उचित मुल्य दुकान की वेकेन्सी निकाल ली गयी। अन्त में प्रार्थना की गई कि



र ३  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
पिलिबित

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2020 अपारत किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 088/2003 बहाल फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/प्रा.धि./2021/4260 दिनांक 28.09.2021 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 020/2019 निर्णय दिनांक 22.05.2020 अनवानी सरकार बनाम मदनलाल जोशी प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 14.12.2021 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से पत्रावली में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पत्रावली पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी/अपीलाण्ट को सूचना दी न ही कोई नोटिस दिया न ही जवाब हेतु पुर्ण अवसर दिया न ही निर्णय अपीलार्थी की मौजूदगी में सुनाया कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भी बिना अपीलार्थी को सुने निर्णय पारित किया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गयी व बाद में अपीलार्थी को पता चला उक्त डिण्डोली उचित मुल्य दुकान हेतु नवीन वेकेन्सी जारी कर दी गयी जिसका पता चलते ही अपीलाण्ट द्वारा विभाग में आकर पता किया तो कर्मचारियों ने बताया की आपका लाईसेन्स तो निरस्त कर दिया गया फिर अपीलार्थी द्वारा निर्णय की नकल ली गयी व अपने अधिवक्ता से मिल पत्रावली व निर्णय की नकल हेतु दिनांक 09.10.2020 में आवेदन किया व दिनांक 15.10.2020 को निर्णय की प्रति मिलते ही अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 22.05.2020 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र



(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला रसद अधिकारी, नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, अतः अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के प्राधिकार पत्र क्रमांक 88/2003 निरस्त करने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त करने का निर्णय पारित किया गया जो निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय बिना अपीलार्थी को बिना जवाब प्रस्तुत कर बिना बहस सुने एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना मन मकसुद एवं एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश परेशान करने से झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी उसकी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सही जांच नहीं करा झूठे आरोपों के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का जो निर्णय पारित किया गया वह निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी को ग्रामवासियान द्वारा कोई रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत नहीं की केवल मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक द्वेषता व झूठे आरोपों पर गलत तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी जांच भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सही नहीं कर राजनैतिक दबाव में की है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार से गबन नहीं किया न ही कोई फर्जी राशन कार्ड बनाकर गलत आधार शीड कर फर्जी ट्रांजेक्शन से गेहू व केरोसीन का गबन किया है, न तो आधार कार्ड प्रार्थी/अपीलाण्ट बनाता है न ही राशन कार्ड प्रार्थी/अपीलाण्ट बनाता है जो भी गेहू प्रार्थी/अपीलाण्ट राशन डीलर को प्राप्त हुये उनको नियमानुसार निर्धारित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को दिये है जो भी आधार कार्ड लाता है वह पोश मशीन के यस करने पर ही उपभोक्ताओं को राशन सामग्री दी जाती है उसी के अनुसार ही प्रार्थी/अपीलाण्ट ने राशन सामग्री वितरित की है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस में उपभोक्ताओं को 35 कि.ग्रा. की जगह 15 कि.ग्रा. गेहू देना, फर्जी



२ २  
(लारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

राशन कार्ड व गलत आधार, शीड कर ट्रांजेक्शन से गेहू व केरोसीन का गबन करना के समस्त आरोप झूठे लगाये हैं जिसकी सही जांच नहीं करवाकर अपीलाण्ट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई गबन नहीं किया है न ही राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा नियमित रूप से उचित मूल्य की दुकान का संचालन करता हुआ गेहू, केरोसीन आदि का वितरण करता आ रहा है किसी भी प्रकार से गबन व फर्जीवाडा नहीं किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट को जितना राशन दिया गया उस अनुरूप वितरण कर स्टॉक में दर्ज किया गया किसी भी प्रकार से कोई राजकीय सामग्री का दुरुपयोग नहीं किया गया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में एफ.पी.एस. कोड नम्बर 24372 से कुल 3550 कि.ग्रा. गेहू को खुर्द-बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरुपयोग कर चालान संख्या 35555833 दिनांक 29.11.2019 राशि 70700/- रुपये राजकोष में जमा कराने हेतु तथ्य अंकित किये हैं जो सरासर गलत है। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने न तो गेहू को खुर्द-बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरुपयोग किया है और न ही कोई चालान अपीलाण्ट को दिया है न ही चालान उपलब्ध कराया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही विस्तृत जांच की गई जिसमें उपभोक्ताओं के, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करना, एवं नियमित गेहू एवं अतिरिक्त गेहू का वितरण नहीं किया जाना और गेहू के बदले नकद राशि का भुगतान करना तथा कुछ उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी बताये गेहू का ट्रांजेक्शन करना गवाहानों के बयान के आधार पर प्रमाणित पाया गया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि जब्ती हेतु पारित आदेश दिनांक 22.05.2020 विधि-सम्मत होने से अपील निरस्त फरमाई जावे। इसी ईशतदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र का किसी भी शर्त का उल्लंघन या अयहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नहीं की अनजाने में प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके



23  
(तारा चन्द मीणा)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर

लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2020 अपारत किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 088/2003 बहाल फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध जांच कार्यवाही में राशन डीलर द्वारा राशनकार्ड ऑनलाईन देखने पर फर्जी आधार सीडिंग कर राशनकार्डों से 9090 किलोग्राम गेहूँ, 120 किलोग्राम चीनी व 280 लीटर केरोसीन को खुर्द-बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरुपयोग किया गया जाना पाया गया। इस पर रसद अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाने पर अपीलार्थी द्वारा रसद अधिकारी को जवाब प्रस्तुत किया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.05.2020 में अंकित किया गया है कि विपक्षी को कार्यालय आदेश रसद/विधि/2019/253 दिनांक 23.09.2019 को निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जबकि पत्रावली पर कारण बताओ नोटिस क्रमांक/रसद/विधि/2019/313 दिनांक 09.12.2019 की प्रति उपलब्ध है। जिस पर विपक्षी को दिनांक 08.01.2020 में प्राप्ति अंकित है। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 09.10.2019 प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 24.12.2019 की पत्रावली पर 2 आदेशिका अंकित है। पत्रावली पर आदेशिका दिनांक 11.02.2020 अंतिम आदेशिका अंकित है। इसके पश्चात् की आदेशिकाओं का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2020 का आधार ही उक्त पत्रांक 253 दिनांक 23.09.2019 जो कि पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है। जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 22.05.2020 में अंकित किया गया है कि "विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य किसी प्रकार से संतोषप्रद नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। राशनकार्डों में आधार सीडिंग कर राशनकार्डों में 12620 किलोग्राम गेहूँ, 120 किलोग्राम चीनी व 280 लीटर केरोसीन का खुर्द-बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरुपयोग किया गया है।" उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का जवाब, तथ्य एवं साक्ष्य का विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय नहीं किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी का उक्त आदेश किसी भी प्रकार से न्यायिक आदेशों की श्रेणी में नहीं



(सारा चन्द मीणा)  
जिला कलक्टर  
चिंताडगढ़

आता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 23.09.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है किन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को तामील होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 22.05.2020 से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का अपीलार्थीन आदेश दिनांक 22.05.2020 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 020/2019 निर्णय दिनांक 22.05.2020 असनयानी सरकार बनाम मदनलाल जोशी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में विपक्षी को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अज-सर्रे नव Speaking and reasoned निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(ताराचन्द्र शर्मा)  
जिला कमिश्नर  
चित्तौड़गढ़